परियोजना का नाम :– जनपद देहरादून एवं जनपद टिहरी के मसूरी वन प्रभाग, केम्पटी–भद्रीगाड एवं मसूरी–जौनपुर रेंज के अन्तर्गत–

1– एन0एच0–507 – यमुना पुल–खरसोन कयारी माईलस्टोन–44 से माईलस्टोन–54, 10 किमी0
2– यमुना पुल–मसूरी बैण्ड, जीरो प्वाइंट 21 किमी0
3– यमुना पुल–सुमन क्यारी, 11.2 किमी0
4– एस0एच0–08– मसूरी–चम्बा मार्ग, मसूरी–धनोल्टी, 34 किमी0 ✓

जिसकी कुल लम्बाई 76.2 किमी0 और जिसका कुल वन भूमि क्षेत्रफल 0.552 हैक्टेरयर, में सडक के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत **गैर वानिकी कार्यों हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0, प्रथम तल रिलाइंस मेगामार्ट, सेंवालखुर्द देहरादून** को वन भूमि प्रत्यावेदन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम....धनोल्टी....

तहसील....धनोल्टी....जिला....टिहरी गढ़वाल

–:: अनापत्ति प्रमाण–पत्र ::–

उत्तराखण्ड में जनपद....टिहरी गढ़वाल....के अन्तर्गत....जीओ (ऑप्टिकल फाइबर लाइन) परियोजना के निर्माण हेतु (0.05 हे॰ नाप भूमि हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि....0.190....हैक्टेयर, सिविल सोयल भूमि 0.110....हैक्टेयर, वन पंायत भूमि....शून्य.... हैक्टेयर) अर्थात कुल....0.350....हैक्टेयर वन भूमि का....जीओ रिलाइंस इंफोकॉम....विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत....धनोल्टी....द्वारा दिनांक....7/1/2019....को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बनध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारोंका हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम....धनोल्टी....के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि....0.350 हे0....प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत धनोल्टी
ह0.... सुमित्रा
दि0.... 7/1/19
वि0ख0–जौनपुर टिहरी गढ़वाल

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

परियोजना का नाम :– जनपद देहरादून एवं जनपद टिहरी के मसूरी वन प्रभाग, केम्पटी–भद्रीगाड एवं मसूरी–जौनपुर रेंज के अन्तर्गत–

1– एन0एच0–507 – यमुना पुल–खरसोन कयारी माईलस्टोन–44 से माईलस्टोन–54, 10 किमी0
2– यमुना पुल–मसूरी बैण्ड, जीरो प्वाइंट 21 किमी0
3– यमुना पुल–सुमन क्यारी, 11.2 किमी0
4– एस0एच0–08– मसूरी–चम्बा मार्ग, मसूरी–धनोल्टी, 34 किमी0

जिसकी कुल लम्बाई 76.2 किमी0 और जिसका कुल वन भूमि क्षेत्रफल 0.552 हैक्टेरयर, में सडक के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत **गैर वानिकी कार्यों हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0, प्रथम तल रिलाइंस मेगामार्ट, सेंवालखुर्द देहरादून** को वन भूमि प्रत्यावेदन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सिया कैम्पटी
तहसील धनोल्टी जिला टिहरी

–:: अनापत्ति प्रमाण–पत्र ::–

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी के अन्तर्गत रिलाइंस जियो परियोजना के निर्माण हेतु (0.05 है. ??? हैकटेयर आरक्षित वन भूमि 0.19 हैक्टेयर सिविल सोयल भूमि 0.11 हैक्टेयर, वन पंयत भूमि 0 हैक्टेयर) अर्थात कुल 0.350 हैक्टेयर वन भूमि का रिलाइंस जियो Infocomm लि. विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सिया कैम्पटी द्वारा दिनांक.................को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बनध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारोंका हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम..................के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि..................प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/ [signature]
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत सिया कैम्पटी जिला टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम :– जनपद देहरादून एवं जनपद टिहरी के मसूरी वन प्रभाग, केम्पटी–भद्रीगाड एवं मसूरी–जौनपुर रेंज के अन्तर्गत–

1– एन0एच0–507 – यमुना पुल–खरसोन कयारी माईलस्टोन–44 से माईलस्टोन–54, 10 किमी0
2– यमुना पुल–मसूरी बैण्ड, जीरो प्वाइंट 21 किमी0
3– यमुना पुल–सुमन क्यारी, 11.2 किमी0
4– एस0एच0–08– मसूरी–चम्बा मार्ग, मसूरी–धनोल्टी, 34 किमी0

जिसकी कुल लम्बाई 76.2 किमी0 और जिसका कुल वन भूमि क्षेत्रफल 0.552 हैक्टेरयर, में सडक के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत **गैर वानिकी कार्यो हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0, प्रथम तल रिलाइंस मेगामार्ट, सेंवालखुर्द देहरादून** को वन भूमि प्रत्यावेदन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम खरसोन
तहसील धनवाग जिला टिहरी गढ़वाल

–: अनापत्ति प्रमाण–पत्र :–

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत रिलाइंस जियो इन्फोकाम लि. परियोजना के निर्माण हेतु (0.05नाप भूमि हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि 0.19 हैक्टेयर सिविल सोयल भूमि 0.11 हैक्टेयर, वन पंायत भूमि शून्य हैक्टेयर) अर्थात कुल 0.350 हैक्टेयर वन भूमि का रिलाइंस जियो इन्फोकाम लि. विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खरसोन द्वारा दिनांक........................को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारोंका हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम..के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि..प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत खरसोन
ह0 कान्ती देवी
दि0
वि0ख0 जौनपुर टिहरी गढ़वाल

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

परियोजना का नाम :– जनपद देहरादून एवं जनपद टिहरी के मसूरी वन प्रभाग, केम्पटी–भद्रीगाड एवं मसूरी–जौनपुर रेंज के अन्तर्गत–

1– एन0एच0–507 – यमुना पुल–खरसोन कयारी माईलस्टोन–44 से माईलस्टोन–54, 10 किमी0
2– यमुना पुल–मसूरी बैण्ड, जीरो प्वाइंट 21 किमी0
3– यमुना पुल–सुमन क्यारी, 11.2 किमी0
4– एस0एच0–08– मसूरी–चम्बा मार्ग, मसूरी–धनोल्टी, 34 किमी0

जिसकी कुल लम्बाई 76.2 किमी0 और जिसका कुल वन भूमि क्षेत्रफल 0.552 हैक्टेरयर, में सडक के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत **गैर वानिकी कार्यों हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0, प्रथम तल रिलाइंस मेगामार्ट, सेंवालखुर्द देहरादून** को वन भूमि प्रत्यावेदन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम भटोली
तहसील धनौल्टी जिला टिहरी गढ़वाल

–:: अनापत्ति प्रमाण–पत्र ::–

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0. परियोजना के निर्माण हेतु (0.05 नाप भूमि हैकटेयर आरक्षित वन भूमि 0.19 हैक्टेयर सिविल सोयल भूमि 0.11 हैक्टेयर, वन पंचायत भूमि शून्य हैक्टेयर) अर्थात कुल 0.350 हैक्टेयर वन भूमि का रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भटोली द्वारा दिनांक........................को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायल की बैटक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बनध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारोंका हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम.... ....के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि..प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत भटोली
ह0 बचनदास
दि0........
वि0ख0–जौनपुर टि0ग0

परियोजना का नाम :– जनपद देहरादून एवं जनपद टिहरी के मसूरी वन प्रभाग, केम्पटी–भद्रीगाड एवं मसूरी–जौनपुर रेंज के अन्तर्गत–

1– एन0एच0–507 – यमुना पुल–खरसोन कयारी माईलस्टोन–44 से माईलस्टोन–54, 10 किमी0
2– यमुना पुल–मसूरी बैण्ड, जीरो प्वाइंट 21 किमी0
3– यमुना पुल–सुमन क्यारी, 11.2 किमी0
4– एस0एच0–08– मसूरी–चम्बा मार्ग, मसूरी–धनोल्टी, 34 किमी0

जिसकी कुल लम्बाई 76.2 किमी0 और जिसका कुल वन भूमि क्षेत्रफल 0.552 हैक्टेरयर, में सडक के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत **गैर वानिकी कार्यों हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0, प्रथम तल रिलाइंस मेगामार्ट, सेंवालखुर्द देहरादून** को वन भूमि प्रत्यावेदन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

प्राम पंचायत का नाम...टटोर...
तहसील...नैनबाग...जिला...टिहरी गढ़वाल

–:: अनापत्ति प्रमाण–पत्र ::–

उत्तराखण्ड में जनपद...टिहरी गढ़वाल...के अन्तर्गत...रिलायंस जियो इन्फोकाम लि0... परियोजना के निर्माण हेतु (...0.05 नाप भूमि...हैकटेयर आरक्षित वन भूमि...0.19...हैक्टेयर सिविल सोयल भूमि...0.11...हैक्टेयर, वन पांयत भूमि...शून्य... हैक्टेयर) अर्थात कुल...0.350...हैक्टेयर वन भूमि का...रिलाइंस जियो इन्फोकाम लि0...विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत...टटोर...द्वारा दिनांक...को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायल की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बनध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारोंका हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम......के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि......प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत टटोर
ह0...
दि0...
वि0ख0 जौनपुर (टिहरी गढ़वाल)

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित